भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 9

सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक)

चार श्रम संहिताए

†9. श्री के. सी. वेणुगोपालः
एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इसके संबंध में कोई चिंता व्यक्त की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा हितधारकों के साथ इस विषय पर की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) औपचारिक श्रम संरक्षण से बाहर काम कर रहे लाखों गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, स्वास्थ्य बीमा और कड़े सामाजिक सुरक्षा लाभों को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिर्माण और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में सृजित हुए औपचारिक रोजगारों की तुलना में समाप्त हुए रोजगारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): भारत सरकार ने दिनांक 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्यदशा (ओएसएचएंडडब्लूसी) संहिता, 2020 को लागू कर दिया है। उक्त श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय नियमों को 8 मई, 2026 को अधिसूचित कर दिया गया है।

चूंकि 'श्रम' समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को भी इन श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियम बनाने आवश्यक हैं। तदनुसार, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने पहले ही आवश्यक कदम उठाए हैं और श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप दे दिया है या प्रकाशित/पूर्व-प्रकाशित कर दिया है तथा कुछ राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र नियमों को पूर्व-प्रकाशित करने/अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) और (घ): श्रम संहिताओं को व्यापक श्रम सुधारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो रोजगार को औपचारिक रूप देते हैं, डिजिटल एकीकरण के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाते हैं, सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करते हैं। ये संहिताएं कामगारों के लिए सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करेंगी।

जारी.../-2

गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों को जीवन और नि:शक्तता कवर सुरक्षा, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने हेतु योजनाएं तैयार करने के उद्देश्य से श्रम संहिता में पहली बार परिभाषित किया गया है।

इन श्रम संहिताओं में कई सक्षमकारी प्रावधान हैं जो सामाजिक सुरक्षा और कामगारों के कल्याण सहित औपचारिकीकरण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे। ऐसे प्रावधानों में, नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी करके रोजगार को औपचारिक रूप देना, संगठित, असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों तक कवरेज का विस्तार करके सामाजिक सुरक्षा का सार्वभौमीकरण करना शामिल है ताकि रोजगार से जुड़ी कमजोरियों के खिलाफ उनके संरक्षण को सुदृढ़ किया जा सके तथा गिग और प्लेटफॉर्म कार्य और प्रौद्योगिकी-संचालित रोजगार मॉडल जैसे कार्य के नए रूपों के प्रति अधिक अनुकूलनशीलता सक्षम की जा सके।
